राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या:–1672 व 1673/2014/.....जिला–टोंक.....

उनवान:– मैसर्स अनिल इण्डस्ट्रीज, टोंक बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–टोंक।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (कैम्प–कोटा) (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 27.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमें सहायक आयुक्त, वृत्त–टोंक (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30 व 58 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष 1994–95 व 1995–96 के **लिये पृथक्–पृथक् पारित निर्धारण आदेशों दिनांक 02.05.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान क्रमशः रू.19,72,175/– व रू.7,87,950/– की राशियों की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 29.09.2014 को उपस्थित हुये। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के संबंध में किसी भी प्रकार के कारणों का उल्लेख नहीं किया है जो अस्पष्ट आदेश (Non-speaking order) की श्रेणी में आता है। गुणावगुण पर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 के तहत् कर मुक्ति का लाभ राजस्थान कर अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 06.11.1998 के आलोक में निर्धारण वर्ष 1994–95 में प्रदान कर दिया गया है, उक्त सही नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 1994–95 से संबंधित निर्धारण आदेश दिनांक 16.08.1995 को पारित किया गया जबकि राजस्थान कर अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 06.11.1998 को पारित किया गया है। तर्क दिया कि " विक्रय कर अधिनियम, 1994" दिनांक 01.04.1994 से राजस्थान राज्य में लागू किया गया है एवम् इस संबंध में "विधायिका" ने प्रावधानों को सुस्पष्ट करने के मद्देनज़र, विक्रय कर अधिनियम अधिनियम की धारा 100 शामिल की है । इसके प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि "विक्रय अधिनियम, 1954" के तहत् पैदा हुये बिन्दुओं पर प्रावधानानुसार ही कार्यवाही किया जाना न्यायसम्मत है जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही विक्रय कर अधिनियम के तहत् की गयी है। विशिष्ट रूप से माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1388/2002/भरतपुर (2003) 2 आर.टी.आर. 646 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण निर्धारण वर्ष 1994–95 से संबंधित होने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्ररूप 12ए में जारी नहीं किया	

लगातार.....2

01.10.2014

गया है । अतः करारोपण की कार्यवाही पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है जैसाकि उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को कर मुक्ति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय छानबीन समिति की अनुशंषा पर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था एवम् तद्नुसार ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर मुक्ति लाभ का उपभोग किया गया है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के संबंध में पारित मूल निर्धारण आदेश के जरिये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित पण्यावर्त को स्वीकार कर, कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे, अतः उक्त निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 30 की परिधि में नहीं आते हैं। अपने तर्क के समर्थन में **1983 54 एस.टी.सी. 6, 1955 6 एस.टी.सी. 318, 1969 24 एस.टी.सी. 39 1985 यू.पी.टी.सी. 112** को प्रोद्धरित किया गया। पुनः कथन किया कि निर्धारण अवधियों के संबंध में पुनः निर्धारण हेतु जो नोटिस जारी किये गये हैं वे अवधि पार है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने का कथन कर, **रू.18,72,175/– व रू.7,87,950/–** की मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने का निवेदन किया गया अन्यथा अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कथन कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। निर्धारण व अपीलीय अधिकारी के आदेशों के अवलोकन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात्, गुणावगुण को प्रभावित किये बिना यह पीठ इस इस नतीजे पर पहुँची हैं कि प्रकरण में निर्धारण हेतु जारी नोटिसेज के अवधि पार होने का **महत्वपूर्ण व विधिक बिन्दु** अन्तवर्लित है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर, **रू.18,72,175/– व रू.7,87,950/–** की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा तीन माह तक, जो भी पहले हो, के लिये रोक लगायी जाती है । उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में प्रस्तुत अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

आदेश प्रसारित किया गया।

01.10.2014
(मनोहर पुरी)
सदस्य

1.10.14
(मदन लाल)
सदस्य